तात्काळ

क्र.एएलएम-१०९८/सी-२८९/पोल-९.
गृह विभाग (विशेष), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर,२००९.

प्रति,

१) सर्व विभागीय आयुक्त,
२) सर्व पोलीस आयुक्त,
३) सर्व जिल्हा दंडाधिकारी.

विषय :- सरकार जमा/जप्त झालेल्या अग्नीशस्त्राची विल्हेवाट लावण्याबाबत.

शासनाकडे जमा झालेल्या अग्नीशस्त्राची विल्हेवाट लावण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक-V-११०२०/७/९७-आर्म्स एनपीबी दिनांक १६ ऑक्टोबर, २००१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रत सोबत पाठविली आहे.

२. केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या विषयी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

३. शस्त्राची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात श्री. अमरीश जाधवराव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र.४००९/१९९८ वर मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे.

४. केंद्र शासनाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर, २००१ च्या पत्रातील परिच्छेद-३ (पाच) मधील सूचनांनुसार अग्नीशस्त्राची किंमत ठरविण्यासाठी शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.१०.२००९ अन्वये प्रधान सचिव (विशेष) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

सहपत्र : वरीलप्रमाणे

(अं. शा. घार्गे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग.

मुख्य स. .....वे कार्यालय
दिनांक: 2/11/01
क्रमांक: 6903

MFS-K01/C-255
07/11/01
AR...

SECRET/MOST IMMEDIATE
BY REGISTERED POST

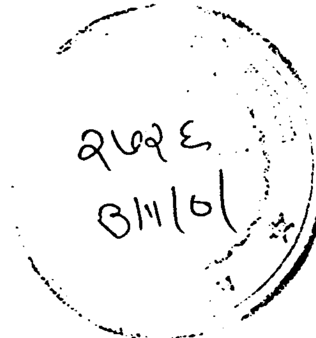
No.V-11020/7/97-Arms(NPB)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated the October, 2001

16 OCT 2001

To

The Chief Secretaries of all States/UTs.
(Home Department).
Director General, B.S.F., New Delhi.
Director General, CRPF, New Delhi
Director, IB, New Delhi.
Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi
Director General, C.I.S.F., New Delhi
Director, SVP, NPA, Hyderabad.
Director General, I.T.B.P., New Delhi.



Sub: Disposal of obsolete/Obsolescent, Confiscated, Seized/recovered firearms and ammunition in non-prohibited bore categories (Category III of Schedule I of the Arms Rules, 1962) - Review of Policy – Regarding.

Sir,

With reference to the subject noted above, I am directed to say that at present disposal of obsolete/obsolescent, confiscated, seized/recovered firearms and ammunition in non-prohibited bore categories is governed by the guidelines circulated vide this Ministry's Secret circular letter No.V-11020/10/93-Arms, dated 15th September, 1993. During the course of implementation of the said guidelines certain difficulties have come to the notice of this Ministry. The existing guidelines do not contain instructions with reference to declaration of firearms as unserviceable and disposal thereof. Disposal of seized firearms also requires to be done by the concerned agencies in an effective manner and to avoid unnecessary piling up of weapons in Government armouries. A need has, therefore, been felt to revise the existing guidelines referred to above. Accordingly, in supersession of the existing instructions dated 15th September, 1993, it has been decided that the disposal of aforesaid categories of arms and ammunition shall be regulated in the manner indicated in the following paragraphs.

2. **Disposal of confiscated/forfeited firearms and ammunition of non-prohibited cagtegory:**

(i) Separate inventories for Muzzle loading guns, smooth bore firearms (12 bore guns, etc.) and rifled weapons (rifles, pistols, revolvers, etc.) of non-prohibited bore category which have been confiscated/forefeited to the Govt. under the provisions of the Arms Act, Cr.P.C.,. etc. shall be maintained;

ACS (Home) 2/11

contd....2/-

(ii) All such stocks shall be earmarked for allotment to eligible persons in the following proportions applicable to each category of the firearms;

(a) Members of the Union Council of Ministers and Ministers in the State/UT Govt. - 20 % of the Stocks;

(b) Members of Parliament and State Legislative Assemblies/Councils – 15% of the Stocks;

(c) Office bearers of Zila Parishads/District Councils and Municipal Corporations - 10% of the Stocks;

(d) Serving/retired civil and police officers – 25% of the stocks;

(e) Retired/retiring members of Central Paramilitary Forces, who have served in the State/UT concerned for a period of not less than three years – 10% of the stocks;

(f) Private Citizens – 10% of the stocks; and

(g) MHA reserve (to be allotted by the Central Government) – 10% of the stocks.

3. Any allotment of fire arms shall be subject to the following conditions;

(i) The allotment of firearms to eligible categories of persons as indicated in paragraph 2 above, shall be made to applicants facing an existing threat to their lives in the assessment of the alloting Authority.

(ii) No individual will be entitled to allotment of more than one firearms by any authority during his life time. The particulars of such allotment shall be entered in the licence of the allottee.

(iii) The allottee should possess a valid licence for possession of a firearm of the category to be allotted.

(iv) The firearm should be in serviceable condition and should contain the name of the manufacturer, distinguishing mark, number, etc., and meet other conditions prescribed in the Arms Act and Rules.

(v) Price of an individual firearm should be fixed by State Government. For this purpose, a Price Fixation Committee, in which representatives from the State Home and Finance Department and some local licensed firearms dealers may be included, be set up. The Committee should determine the price of the firearms after taking into account the condition of the weapon and prevailing market rate of similar weapon. The price fixed by the Committee should be realistic in comparison to the market value of the weapon and not nominal.

(vi) Allotment should be made subject to the condition that the allottee shall not sell, gift, transfer or otherwise part with the firearm during his life time. In the event

contd.....3/-

3 32/J 2

of his licence being cancelled or revoked, the firearm shall be returned to the Government.

4. **Precaution against misuse of seized/recovered firearms by State Police/CPMFs and their disposal:**

To prevent misuse of various categories of arms and ammunition confiscated, forfeited, seized /recovered, there is a need to develop and ensure proper accountability, storage and registration of such weapons. For this purpose, all such weapons captured/ confiscated/surrendered shall be taken on charge of memo of seizures, to be signed by the person(s) involved in the confiscation/seizure/capture. A FIR shall be lodged with the nearest police station by the seizing authority on the basis of memo of seizure explaining the complete circumstances of the case for further necessary action under the relevant provisions of law. The weapons shall be handed over to the concerned authorities as per the seizure memo. Keeping in view the safety of these weapons/arms/ammunition, their storage should not be allowed in the police stations rather these should be stored in district malkhanas or other suitable places under proper security, safety and supervision. A specific time limit of three months for moving the lot of weapons from intermediate storage place to final place should be observed. For this purpose, a history sheet with each weapon to indicate make, type of weapon, register number brief circumstances of confiscation, capture, seizure etc. shall be prepared and shall be kept as records alongwith the memo of seizure.

In respect of the firearm seized/recovered for unlawful possession or for contravening any other law or found as unclaimed property and which are not required to be produced as exhibits before a Court of Law in connection with any case that may have been registered involving or relating to the said arms, the concerned State authorities should approach the competent court seeking its permission for their utilisation. If necessary, an undertaking may be given to the court that if the claim in respect of any such arm is later established in the Court by the genuine owner, the State Government will reimburse the cost to the owner. Such weapons, after the orders of the competent court have been obtained, may be deemed to have been confiscated/forefeited. Thereafter their disposal should be regulated in accordance with the instructions contained in para 2 above. In respect of weapons which are case property (i.e. involved in court case), clearance/final orders should be obtained from the competent court expeditiously before their disposal.

5. Notwithstanding anything contained hereinbefore, the Ministry of Home Affairs shall reserve the right to allot any fire arm to any person and such allotment will be binding on the State Government/UT Administration concerned. This Ministry also reserves the right to give a direction to any State Government/UT Administration to allot a particular firearm to any specified person. All such allotments will be subject to the conditions contained in paragraph 3 of this letter.

6. **Disposal of obsolete/obsolescent and condemned/unserviceable firearms:-**

All obsolete/obsolescent and condemned/unserviceable firearms and their components shall hereafter be destroyed centrally as indicated in Annexure I.

contd....4/-

7. **Procedure for declaring a firearm condemned/unserviceable:-**

The procedure prescribed by Army towards condemnation/declaring unserviceability of firearms being presently followed by some of the Central Para-Military Forces, may be adopted by State Governments/Union Territories. A gist of such procedure presently being followed in CRPF is annexed at Annexure II for guidance.

8. **Disposal of unallotted serviceable NPB firearms:-**

Serviceable category of NPB firearms forming part of confiscated/forfeited lot held by the Sate Governments/UT Administrations shall be kept for allotment as per prescribed procedure to eligible category of persons for a period of 5 years from the date of their confiscation/forfeiture after which it can be given to a Government Department.

9. A monthly Statement of the stocks/allotments made by he State Governments/UT Administrations should regularly be sent to this Ministry in the enclosed proforma.

10. **Disposal of ammunition:**

The instructions contained hereinabove shall mutatis-mutandis apply to the disposal of corresponding categories of ammunition.

11. The above guidelines are not applicable to Prohibited/Prohibited Bore Weapons for which corresponding guidelines are being separately issued vide letter No.V-11020/14/96-Arms, dated 16th October,2001.

(HARMINDER RAJ SINGH)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
PH. 301 5630

PROFORMA

MONTH________

YEAR________

STATEMENT SHOWING STOCKS OF CONFISCATED/FOREFEITED NON-PROHIBITED BORE FIREARMS/AMMUNITION.

Sl. No.	Description of the weapon	Calibre	Whether the weapon is free from encumberances or orders of competent Court for its use has been obtained.	Indicate if the weapon is serviceable or otherwise	Opening Stock	Stock added during the month	Total	Details of the allotment made during the month	Balance as on last day of the month	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

consisting of DIG (Police), an officer of SP rank and an Executive Magistrate. In case of the Central Para Military Forces Committee will comprise of DIG, CPMF and two Commandants.

ANNEXURE-I

PROFORMA FOR MAINTENANCE OF RECORD OF WEAPONS DESTROYED/DEFACED/MUTILATED

1. Full nomenclature of weapon specify calibre and type of weapons i.e. revolver, pistol, shot Gun, rifle, stem carbine etc.

2. Registered number and manufacturers particulars (i.e. firm name, country of origin, country made etc.)

3. Reasons for confiscation/surrender giving full details of owner, if any.

4. Reasons/authority for destruction giving reference of competent authorities giving orders for destruction.

5. Details how the weapon was destroyed/defaced/mutilated.

6. Any other remarks, if any.

Certified that the weapon as stated above has been physically destroyed/defaced/mutilated in full in our presence to the extent that even the parts cannot be reused.

Signature & Designation of three officers.

1.
2.
3.

Date:______________

Place:______________

FOOT NOTE:

The destruction/de-facing/mutilation of weapons will be supervised by a Committee consisting of DIG (Police), an officer of SP rank and an Executive Magistrate. In case of the Central Para Military Forces Committee will comprise of DIG, CPMF and two Commandants.

ANNEXURE-II.

DIRECTORATE GENERAL :CRPF
(Provisioning)

Subject : DECLARATION OF FIRE ARMS AS UNSERVICEABLE PROCEDURE REGARDING.

The procedure for declaring a fire arm unserviceable being followed in CRPF is as under.

According to guidelines issued in the Electrical & Mechanical Engineering regulations No.SA/A-16.8 No.1 of Indian Army and Standing Order 11/76 of CRPF an Electrical & Mechanical Asstt. Engineer (Small Arms) is authorised to declare a fire arm unserviceable. In CRPF, the officers who have undergone EMAE(SA) course at the Army training Centre, are called as AISA and made available to the arms workshops. By virtue of the technical knowledge attained by them during the course they are authorised to carryout technical examination of the fire arms and sentence them unserviceable. The qualified AIA is acceptable as competent authority for conditioning the arms as unserviceable/BER (beyond economical repair).

A Fire arm can be declared unserviceable in the following circumstances :-

i) In case of damage occurred due to accident/failure caused during the firing.

If a Fire arm is damaged during firing or accident, a board of officers is constituted to conduct a COI for investigating the circumstances under which the arm damaged. Before finalising the COI a technical opinion is obtained from Ammunition Technician Officer/Arms Inspection authority regarding the probable cause of damage. The AIA is required to furnish his report regarding the damage/condition of the weapon in the proforma prescribed for this purpose.

ii) In case of arms noticed damaged/wornout due to misuse/neglet of normal fair wear and tear.

As per existing rules and regulations technical inspection of Arms is made once in a year by our AIA. During the inspection if a weapon is found damaged, the AIA sentence the weapon as repairable or unserviceable considering its condition. If an arm is sentenced unserviceable not due to fair wear and tear, the AIA suggest the concerned head of office to constitute a COI for investigating the circumstances under which the fire arm got damaged. During the technical inspection the AFA follows the gauging limits/standards as prescribed for declaring a weapon unserviceable. Further in case of the arm damaged due to unfair wear and tear, the AIA is supposed to give his recommendation considering the extent of the damage and the cost of the weapon as per existing rules.

गुप्त/अति तत्काल
पंजीकृत डाक द्वारा

सं0 V-11020/7/97-आर्म्स (एन0पी0बी0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर, 2001
16 OCT 2001

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों (गृह विभाग) के मुख्य सचिव ।
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली ।
महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली ।
निदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ।
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।
महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली ।
निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।
महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली ।

विषय:- गैर-निषिद्ध बोर श्रेणियों (शस्त्र नियम, 1962 की अनुसूची-I की श्रेणी-III) के जब्त किए गए/पकड़े गए/बरामद किए गए पुराने/प्रायः प्रयोग न किए जाने वाले आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद के निपटान की नीति की संवीक्षा ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में गैर-निषिद्ध बोर श्रेणियों के जब्त किए गए/पकड़े गए/बरामद किए गए पुराने/प्रायः प्रयोग न किए जाने वाले आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का निपटान इस मंत्रालय के दिनांक 15 सितम्बर, 1993 के गुप्त परिपत्र सं0 V-11020/10/93-आर्म्स के तहत शासित होता है । उक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान पेश आने वाली कुछ कठिनाइयां मंत्रालय के ध्यान में आयी हैं । विद्यमान दिशानिर्देशों में आग्नेयास्त्रों को अप्रयोक्तव्य घोषित करने और उनका निपटान करने संबंधी अनुदेश शामिल नहीं हैं । जब्त आग्नेयास्त्रों का संबंधित एजेंसी द्वारा प्रभावी ढंग से निपटान किया जाना और सरकारी शस्त्रागारों में अनावश्यक रूप से हथियारों का ढेर लगाए जाने से बचना आवश्यक है । अतः ऊपर संदर्भित विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है । तदनुसार दिनांक 15 सितम्बर, 1993 के विद्यमान अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त

श्रेणियों के शस्त्रों और गोलाबारूद का निपटान निम्नलिखित पैरों में विनिर्दिष्ट तरीके से विनियमित किया जाएगा।

2. गैर-निषिद्ध श्रेणी के जब्त किए गए/अपवर्तित अग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का निपटानः

(i) शस्त्र अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता इत्यादि के उपबंधों के अंतर्गत सरकार के पास जब्त/अपवर्तित गैर-निषिद्ध बोर श्रेणी की मुज्जल लोडिंग गन, स्मूथ बोर फायरआर्म (12 बोर गन्स इत्यादि) तथा राइफल वीपन (राइफल्स, पिस्तौल, रिवाल्वर, इत्यादि) की सूची अलग-अलग बनाई जाएगी;

(ii) इस प्रकार का सारा स्टॉक आग्नेयास्त्रों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू निम्नलिखित अनुपात में पात्र व्यक्तियों को आवंटन हेतु निर्धारित किया जाएगाः

(क) केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य तथा राज्य/संघ शासित सरकारों के मंत्री - स्टॉक का 20%.

(ख) संसद, राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य - स्टॉक का 15%.

(ग) जिला परिषदों/डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों एवं नगर निगमों के पदाधिकारी - स्टॉक का 10%.

(घ) सेवारत/सेवानिवृत्त सिविल एवं पुलिस अधिकारी - स्टॉक का 25%.

(ङ) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य जिन्होंने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा की हो - स्टॉक का 10%.

(च) आम नागरिक - स्टॉक का 10%; और

(छ) गृह मंत्रालय रिजर्व (केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाना) - स्टॉक का 10%.

3. आग्नेयास्त्रों का कोई भी आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः

(i) ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की पात्र श्रेणियों को आग्नेयास्त्रों का आवंटन आवंटनकर्ता प्राधिकारी के मूल्यांकन में उनकी जान को खतरा होने की स्थिति में ही किया जाएगा ।

(ii) कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक आग्नेयास्त्र के आवंटन का पात्र नहीं होगा । इस प्रकार के आवंटन के विवरणों को आवंटिती के लाइसेंस में दर्ज किया जाएगा ।

(iii) आवंटिती के पास आवंटित की जाने वाली श्रेणी के आग्नेयास्त्र को रखने का वैध लाइसेंस होना चाहिए ।

(iv) आग्नेयास्त्र चालू हालत में होना चाहिए तथा इस पर विनिर्माता का नाम, विशिष्ट चिह्न संख्या आदि होने चाहिए तथा वह शस्त्र अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता हो ।

(v) प्रत्येक आग्नेयास्त्र की कीमत राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए राज्य के गृह तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधियों एवं कुछ स्थानीय लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र डीलरों की एक कीमत निर्धारण समिति गठित की जाएगी । समिति को, हथियार की स्थिति तथा उसी प्रकार के हथियार की विद्यमान बाजार दर पर विचार करने के बाद, आग्नेयास्त्र की कीमत निर्धारित करनी होगी । समिति द्वारा निर्धारित कीमत उस हथियार के बाजार मूल्य की तुलना में अवास्तविक न होकर वास्तविक होनी चाहिए ।

(vi) आवंटन इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि आवंटिती अपने जीवनकाल में इस आग्नेयास्त्र को बेचेगा नहीं, उपहार में नहीं देगा या अन्यथा अपने से अलग नहीं करेगा । उसका लाइसेंस रद्द या निरस्त किए जाने की अवस्था में उसे वह आग्नेयास्त्र सरकार को लौटाना होगा ।

4. <u>राज्य पुलिस/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा पकड़े गए/वरामद किए गए आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एहतियात और उनका निपटान</u>

जब्त किए गए, अपवर्तित, पकड़े गए/बरामद किए गए हथियारों और गोलाबारूद की विभिन्न श्रेणियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे हथियारों के लिए समुचित उत्तरदायित्व, भंडारण और पंजीकरण किए जाने और उसे सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिए, कब्जे में लिए गए/जब्त किए गए/सुपुर्द किए गए ऐसे सभी हथियारों का उल्लेख जब्ती ज्ञापन पर किया जाएगा और उस पर उस जब्ती/पकड़े/कब्जे में लेने वाली कार्रवाई में शामिल व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । पकड़ने वाले प्राधिकारी द्वारा जब्ती ज्ञापन के आधार पर निकटतम पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी जिसमें मामले की पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख हो ताकि कानून के संगत प्रावधानों के अंतर्गत आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके । हथियारों को जब्ती ज्ञापन के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों को सौंप दिया जाएगा । इन हथियारों/शस्त्रों/गोलाबारूद की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पुलिस स्टेशनों में उनके भंडारण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उन्हें उचित सुरक्षा, संरक्षण और पर्यवेक्षण में जिला मालखानों या अन्य

उचित स्थानों पर रखना ज्यादा बेहतर होगा । हथियारों की खेप को मध्यवर्ती भंडारण स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए तीन माह की एक विशेष समय-सीमा का अनुपालन किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक शस्त्र के साथ एक हिस्ट्रीशीट तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक हथियार के निर्माण, हथियार के प्रकार, पंजीकरण संख्या, जब्ती, कब्जे, बरामदगी की संक्षिप्त परिस्थितियों आदि का उल्लेख किया जाएगा और उसे जब्ती ज्ञापन के साथ रिकार्ड के तौर पर रखा जाएगा ।

गैर कानूनी रूप से या किसी अन्य कानून के उल्लंघन स्वरूप रखे गए या बिना दावे की संपत्ति के रूप में जब्त किए गए/बरामद किए गए उन हथियारों को, जिन्हें उक्त हथयारों के बावत या उनके संबंध में पंजीकृत किए गए किसी मामले के सिलसिले में अदालत के सम्मुख साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों को सक्षम अदालत से अनुरोध करना होगा । यदि जरूरी हो तो अदालत में इस आशय का एक बचनबंध दिया जाएगा कि यदि बाद में वास्तविक मालिक द्वारा अदालत में ऐसे किसी हथियार की हकदारी के दावे की पुष्टि की जाती है तो राज्य सरकार उस मालिक को लागत की प्रतिपूर्ति करेगी । सक्षम अदालत के आदेश प्राप्त कर लेने के बाद ऐसे हथियारों को जब्त किया गया/अपवर्तित माना जाएगा । तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार उनके निपटान को विनियमित किया जाएगा । केस प्रोपर्टी (अर्थात जिनका संबंध अदालत के मामले से है) वाले हथियारों के निपटान से पहले सक्षम अदालत से शीघ्र ही क्लीयरेंस/अंतिम आदेश प्राप्त करना होगा ।

5. इसमें पहले उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को कोई भी हथियार आवंटित करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित रहेगा तथा ऐसा आवंटन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर बाध्यकारी होगा । इस मंत्रालय का यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वह किसी व्यक्ति विशेष को कोई हथियार विशेष आवंटित करने के लिए किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निदेश दे सकेगा। ऐसे सभी आवंटन इस पत्र के पैराग्राफ 3 में निहित शर्तों के अध्यधीन होंगे ।

6. पुराने/प्रायः प्रयोग न किए जाने वाले और अनुपयोगी/अप्रयोक्तव्य आग्नेयास्त्रों का निपटानः

ऐसे सभी पुराने/प्रायः प्रयोग न किए जाने वाले और अनुपयोगी घोषित/अप्रयोक्तव्य हथियारों और उनके हिस्से-पुर्जों को इसके पश्चात अनुलग्नक-I में दर्शाए गए अनुसार केन्द्रीयकृत रूप से नष्ट कर दिया जाएगा।

7. किसी आग्नेयास्त्र को अनुपयोगी/अप्रयोक्तव्य घोषित करने की प्रक्रिया

आग्नेयास्त्रों को अनुपयोगी/अप्रयोक्तव्य घोषित करने की सेना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जिसका पालन वर्तमान में कुछ केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा किया जा रहा है, को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भी अपनाया जाए । वर्तमान में के0रि0पु0बल/सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का सारांश मार्गदर्शन के लिए अनुलग्नक-II में संलग्न है ।

8. <u>अनावंटित प्रयोक्तव्य गैर-निषिद्ध बोर (एन0पी0बी0) आग्नेयास्त्रों का निपटान</u>

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा धारित प्रयोक्तव्य श्रेणी के एन0पी0बी0 आग्नेयास्त्रों को, जो कि जब्त/अपवर्तित जखीरे का भाग हैं उनकी जब्ती/अपवर्तित होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित करने के लिए रखा जाएगा जिसके पश्चात् किसी सरकारी विभाग को दे दिया जाएगा।

9. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भंडारों/आबंटनों का मासिक विवरण संलग्न प्रपत्र में इस मंत्रालय को नियमित रूप से भेजा जाएगा।

10. <u>गोलाबारूद का निपटान</u>

उपरोक्त अनुदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित, समरूप श्रेणियों के गोलाबारूदों के निपटान के लिए लागू होंगे।

11. उपरोक्त दिशानिर्देश निषिद्ध/निषिद्ध बोर के उन हथियारों पर लागू नहीं है जिनके लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 के पत्र सं0 V-11020/14/96-आर्म्स के द्वारा पृथक रूप से समरूपी दिशानिदेश जारी किए जा रहे हैं।

(हरमिंदर राज सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रोफार्मा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ____________

माह ____________

वर्ष ____________

गैर-निषिद्ध बोर के जब्त/अपवर्तित आग्नेयास्त्रों/गोलाबारूद के भंडारों को दर्शाने वाला विवरण

क्र0सं0	शस्त्र का विवरण	कैलिबर	क्या शस्त्र किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है अथवा सक्षम न्यायालय से इसके उपयोग के लिए आदेश प्राप्त किए गए हैं।	सूचित करें कि क्या शस्त्र प्रयोक्तव्य है अथवा नहीं	प्रारंभिक भंडार	माह के दौरान जोड़ा गया भंडार	जोड़	माह के दौरान किए गए आवंटन का विवरण	माह के अंतिम दिन का शेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नष्ट किए गए/विरूपित/विकृत किए गए शस्त्रों का रिकार्ड रखने के लिए प्रोफार्मा

1. शस्त्र का पूरा नाम (शस्त्र का कैलिबर और प्रकार, अर्थात : रिवॉल्वर, पिस्तौल, शार्टगन, राईफल, स्टर्नकारबाइन इत्यादि स्पष्ट करें)
2. पंजीकरण संख्या तथा निर्माता का विवरण (अर्थात् फर्म का नाम, देश अथवा उदभव, देशी इत्यादि)
3. यदि कोई स्वामी हों तो उसका पूरा विवरण देते हुए जब्ती/अभ्यर्पण का कारण
4. नष्ट करने के आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख करते हुए नष्ट किए जाने का कारण/प्राधिकार
5. शस्त्र को नष्ट/विरूपित/विकृत किए जाने संबंधी ब्यौरा
6. अन्य टिप्पणी, यदि कोई हों

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र को हमारी उपस्थिति में वास्तव में इस सीमा तक नष्ट/विरूपित/विकृत कर दिया गया है कि इसके पुर्जे भी पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं ।

तीन अधिकारियों के हस्ताक्षर और पदनाम

1.
2.
3.

तिथिः

स्थानः

पाद-टिप्पणीः शस्त्रों के विनाश/विरूपण/विकृति के कार्य का पर्यवेक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी तथा एग्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सम्मिलित करते हुए गठित की गई समिति करेगी । केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के मामले में समिति में सशस्त्र बलोंके उपमहानिरीक्षक तथा दो कमांडेंट शामिल होंगे।

अनुलग्नक-II

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(संभरण)

विषय: **आग्नेयास्त्रों को अनुपयोगी घोषित करने की कार्यविधि।**

केरिपु बल में आग्नेय शस्त्रों को अनुपयोगी घोषित करने की कार्यविधि निम्नवत् है।

भारतीय सेना के विद्युत व अभियांत्रिक विनियम संख्या एम.ए/ए-16.8 सं0 1 एवं केरिपु बल के स्थाई आदेश संख्या 11/76 में जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार आग्नेय शस्त्र को अनुपयोगी घोषित करने के लिए सहायक अभियन्ता (छोटा हथियार), विद्युत व अभियांत्रिक को प्राधिकृत किया गया है। केरिपु बल में ऐसे अधिकारियों को ए.आई.एस.ए. कहा जाता है जिन्होंने एम.ए.ई. (एस.ए.) कोर्स सेना प्रशिक्षण केन्द्र में प्राप्त किया है और इनको शस्त्र कार्यशालाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण में उन अधिकारियों द्वारा अर्जित तकनीकी ज्ञान की बदौलत ये आग्नेय शस्त्रों का तकनीकी निरीक्षण करने और इन्हें अनुपयोगी घोषित करने के लिए प्राधिकृत हैं। योग्य ए.आई.ए. शस्त्रों को अनुपयोगी/बी.आर.(मरम्मत में किफायती सिद्ध न होने वाले) सिद्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्वीकार्य होता है।

आग्नेय शस्त्र को निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है :-

i) दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त होने/फायरिंग के दौरान असफल होने की दशा में।

फायरिंग अथवा दुर्घटनावश अगर कोई आग्नेय शस्त्र क्षतिग्रस्त होता है तो उन परिस्थितियों की जांच हेतु अधिकारियों की एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया जाता है जिसमें हथियार क्षतिग्रस्त हुआ है। न्यायिक जांच पूर्ण करने से पूर्व अम्यूनिशन तकनीकी अधिकारी/हथियार निरीक्षण प्राधिकारी से क्षति के संभावित कारणों का पता लगाने हेतु तकनीकी सलाह ली जाती है। हथियार निरीक्षण प्राधिकारी को हथियार की क्षति/दशा के संबंध में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट देनी होती है।

ii) शस्त्रों में क्षति पाए जाने/दुरूपयोग के कारण नुकसान/सामान्य रूप से उचित सावधानी न बरते जाने की वजह से टूट-फूट के मामले में।

मौजूदा नियमों व विनियमों के तहत हथियारों का तकनीकी निरीक्षण हथियार निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा साल में एक बार किया जाता है। निरीक्षण के दौरान अगर हथियार क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो हथियार निरीक्षण प्राधिकारी हथियार की दशा को ध्यान में रखते हुए मरम्मत करने अथवा अनुपयोगी होने की घोषणा

करता है । अगर किसी हथियार को स्वाभाविक टूट-फूट न होने क कारण अनुपयोगी घोषित किया है तो हथियार निरीक्षण प्राधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए न्यायिक जांच समिति गठित करने की सलाह देता है जिसके तहत हथियार क्षतिग्रस्त हुआ है । तकनीकी निरीक्षण के दौरान ए.एफ.ए. किसी हथियार को अनुपयोगी घोषित करने के लिए निर्धारित मानक सीमा/स्तर को अपनाता है । इसके अलावा अगर कोई हथियार अनुचित टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त होता तो हथियार निरीक्षण प्राधिकारी को इस संबंध में हथियार किस हद तक क्षतिग्रस्त है तथा विद्यमान नियमों के अनुसार उनकी लागत पर विचार करते हुए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी होती है ।

R-111g

XEROX

4 2016 /2009 **CASE NO. :** WP 4009/98

Prepared by : MRS. U.U. DONWALKAR ASSISTANT : 9/7/09
MRS. ~~K.S.ADHANGALE~~ ~~CLERK~~ :

Compared by : ~~MRS. K.K. KADAM~~ ASSISTANT :
SMT. S.A.M.SHAH ASSISTANT : 10/7/09

Verified &Examined by: for MR. A.S. PAWAR for SECTION OFFICER : 10/07/09

Pages : 3

Typing / Xeroxing and Comparing Charges : Rs. Ps.

Total Rupees

1) Date of Application : 4 / 7 /2009

2) Date on which office objection removed : ---

3) Date on which Application was completed : ---

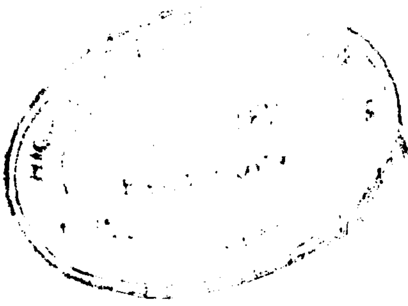
4) Date on which copy was ready : 13 / 7 /2009

5) Date on which copy was delivered : / /

Assistant

Certified Copy Branch
High Court, Appellate Side, Bombay

266



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE, CIVIL JURISDICTION
WRIT PETITION NO. 4009 OF 2998

Amarsinh Jotyajirao Jadhavrao	]	
Adult, Occu. Social Worker and	]	
Editor, Residing at 727-A,	]	PETITIONER
Sadashiv Peth, PUNE, 411 030	]	

Vs

1) State of Maharashtra,	]	
through the Secretary	]	
Mantralaya, Mumbai 400 032	]	
2) Shri Gopinath Mundhe,	]	RESPONDENTS
Home Minister, Mantralaya	]	

2

3) Union of India
Ministry of Home Affairs
Through the Secretary
New Delhi 11 0 001

Respondent

WP 4009/98

None for the petitioner

Mr.J.G.Kedy for respondent

Mr.S.R.Nargolkar, A.G.P. for the State

CORAM: J.N. PATEL, &
Smt.MRIDULA BHATKAR, JJ.

DATE: APRIL 17, 2009

P.C.

The rules which were under challenge in this petition have been superseded by the Rules of 2001. Therefore, nothing survives in the petition. Petition is dismissed. Interim order if any, stands vacated. In view thereof, Civil Application No.261 of 2002 does not survive. The same is also dismissed as infructuous.

17/4/09

Sd/-

TRUE COPY
Assistant Registrar
High Court, Appellate Side
Bombay 400 032.
10/7/09

